

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

E-mail-dcourtseh-mp@nic.in, Contact No. - 07562-292211, Fax- 299475

// विविध आदेश //


क्रमांक / ११ / दो-१-१ / 2021 (चतुर्थ श्रेणी भर्ती)

सीहोर, दिनांक ०८/०१/२०२२

मध्यप्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर चतुर्थ श्रेणी (वाहन चालक, भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, माली एवं स्वीपर) कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी, की सीधी भर्ती/नियुक्ति सपन्न कराये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा न्यायिक जिला स्थापना सीहोर में साक्षात्कार कार्यक्रम दिनांक 15.01.2022 एवं 16.01.2022 में आयोजित करने हेतु तारीख नियत की गयी है तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में दिनांक 15.01.2022 में 1723 अभ्यर्थी एवं दिनांक 16.01.2022 में 1626 अभ्यर्थी (कुल 3349 अभ्यर्थी) का सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया।


माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त परिपत्र क्रमांक ए/136/2022 जबलपुर दिनांक 07.01.2022 में दिये गये निर्देशानुसार वर्तमान में कोविड-19 के डेल्टा वैरिएंट एवं ओमीकॉन के बढ़ते संक्रमण से मध्यप्रदेश राज्य के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की स्थापनाओं पर जिला एवं जिले की तहसील स्थित सिविल न्यायालयों में सहभागिता करने वाले न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, अभियोजन अधिकारीगण, शासकीय सेवकों एवं पक्षकारों की उक्त संक्रमण से सुरक्षा का उत्तरदायित्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को सौपा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आकस्मिकता निधि प्रभारित कर्मचारियों की सीधी भर्ती के साक्षात्कार के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए संक्रमण से जिला न्यायालय में प्रतिदिन सहभागिताकर्ताओं में संक्रमण बढ़ने की संभावना है।

अतः वर्तमान कोविड-19 के डेल्टा एवं ओमीकॉन वैरिएंट के संक्रमण को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी (वाहन चालक, भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, माली एवं स्वीपर) कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी, की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु आगामी दिनांक 15.01.2022 एवं 16.01.2022 को आयोजित साक्षात्कार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित किये जाते हैं।


वास्ते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीहोर (म. प्र.)

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति श्रीमान सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि माननीय महोदय के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को अवगत कराने का कष्ट करे।
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संबंधित सर्विस प्रोवाइडर को निर्देशित करने का कष्ट करे कि दिनांक 15.01.2022 एवं 16.01.2022 तक साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को एस. एम. एस./ई-मेल के माध्यम से साक्षात्कार स्थगन की सूचना अविलम्ब प्रेषित की जावे।
4. प्रभारी अधिकारी लेखा/कम्प्यूटर अनुविभाग सीहोर
5. साक्षात्कार/चयन समिति, सीहोर
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुविभाग, सीहोर की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त साक्षात्कार स्थगन के संबंध में दृष्टतव्य स्थान पर नोटिस बोर्ड तत्काल चस्पा किये जाने हेतु जिला नाजिर को निर्देशित करे।
7. कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय, सीहोर
8. पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर परिसर, सीहोर
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीहोर
10. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ/कर्मचारी संघ जिला न्यायालय, सीहोर
11. जिला परिवहन अधिकारी, सीहोर
12. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुविभाग, सीहोर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित हैं कि, उक्त आदेश उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करे।
13. जनसंपर्क अधिकारी, सीहोर की ओर आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि, साक्षात्कार स्थगित होने की सूचना प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करे।

 8-1-2022
वास्ते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीहोर (म. प्र.)